न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00214

1. देवेन्द्र पाल कौर पुत्री गुरूचरण सिंह पत्नी भगत सिंह जाति पंजाबी निवासी ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. संतगुरूमीत सिंह पुत्र गुरूचरण सिंह जाति पंजाबी निवासी ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये संरक्षिका बहिन देवेन्द्रपाल कौर पुत्री गुरूचरण सिंह पत्नी भगत सिंह जाति पंजाबी निवीस ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

----अपीलान्ट

बनाम

1. अमरजीत सिंह आत्मज गुरूचरण सिंह जाति पंजाबी निवासी 2–एच–6 महावीर निगर तृतीय कोटा ।
2. परमजीत सिंह आत्मज गुरूचरण सिंह जाति पंजाबी निवासी इंजन के मिस्त्री बउी नहर के पास आरा मशीन के समीप ग्राम केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजेन्द्र कौर पत्नी अरविन्दर सिंह पुत्री गुरूचरण सिंह जाति पंजाबी निवासी 151, रंग बिहार महावीर नगर तृतीय, कोटा ।
4. बलवीर कौर पत्नी कुलदीप सिंह पुत्री गुरूचरण सिंह जाति पंजाबी निवासी मतस्य विकास अधिकारी कार्यालय के सामने बल्लभबाडी कोटा ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से
3. श्री मनोज जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 46 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 06 किता की रकबा 3.07 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 के पिता गुरूचरण सिंह आत्मज हुक्मसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 15.06.1963 को रामकिशन, रामसुख पिसरान रामनाथ से 2000/– रूपये में क्रय की थी । वर्तमान में उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 के पिता गुरूचरण सिंह के नाम दर्ज है । गुरूचरण सिंह का देहान्त सन् 1999 में हो चुका है । गुरूचरण जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर वादी का कब्जा है । वादिनी क्रम 01 व उसके पति भगतसिंह के नुत्फे से एक लडका 05 वर्ष का व एक लउकी 09 वर्ष की है । वादी क्रम 02 का विवाह नहीं हुआ है एवं उच्च आध्यात्मिक अवस्था के व्यक्ति होने के कारण उनकी देखभाल वादिनी ही करती है । वादिनी क्रम 01 वादी क्रम 02 की संरक्षिका है । इन्हीं बातों से प्रसन्न होकर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लागायत 4 के पिता गुरूचरण सिंह ने वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 06.05.95 को वादिनी क्रम 01 के पक्ष में निष्पादित कर दी जिसे कार्यालय उप पंजीयक कोटा में पंजीबद्ध करवाया । वादिनी क्रम 01 को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम खातेदारी में दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादिनी को वसीयत के आधार पर खातेदार कातश्कार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार वादिनी का नाम दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 04 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.05.2019 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी को मृतक गुरूचरण सिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं मानकर भूल की है । उक्त सम्पत्ति गुरूचरण सिंह ने स्वअर्जित आय से क्रय की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक गुरूचरण सिंह की वसीयत पर विश्वास नहीं कर त्रुटि की है । गुरूचरण सिंह को वसीयत करने का पूरा अधिकार था । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य होने के उपरान्त भी स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं मानकर त्रुटि की है तथा वसीयत को अवैध मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह की ओर ध्यान नहीं दिया है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया था । इस आराजी के सेटलमेंट के पूर्व के खसरा नम्बर 409 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा दर्ज थी । आराजी वादीगण और प्रतिवादीगण के पिता गुरूचरण सिंह ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1993 से क्रय की थी । आराजी का क्रय अपनी आय से किया था । गुरूचरण सिंह का निधन 15 अक्टूर, 1999 को हो चुका है । आराजी पर कब्जा वर्तमान में वादी संख्या 01 का है । वादी संख्या 02 गुरूचरण सिंह का पुत्र है उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त व्यक्ति है उसकी संरक्षिका वादिनी क्रम 01 है । पक्षकारान की माता का भी निधन हो चुका है । इसी आराजी के बाबत् एक वसीयत दिनांक 06.05.1995 को गुरूचरण सिंह ने वादिनी के पक्ष में निष्पादित की है । वसीयत के आधार पर वादिनी वादग्रस्त आराजी की खातेदार घोषित होने की अधिकारी हैं । वादिनी के द्वारा इस वसीयत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित भी करवाया है । प्रतिवादीगण वादिनी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । आराजी को गलत रूप से पैतृक माना है, जबकि आराजी पैतृक नहीं है । दस्तावेजी साक्ष्य के बावजूद आराजी को स्वअर्जित नहीं माना है । प्रतिवादीगण के द्वारा एक क्रॉस दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था उसको इसके साथ समेकित किया गया था परन्तु उस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 04 को तय करने में त्रुटि की है । वसीयत की वैधता की जॉच करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है । प्रतिवादीगण यह कथन करते हैं वादग्रस्त आराजी स्वअर्जित नहीं है वरन पाकिस्तान से आने पर जो मुआवजा प्राप्त हुआ था उससे क्रय की गई है यह तथ्यों से विपरीत है क्योंकि मुआवजा 900/– रूपये मिला था और आराजी 2000/– रूपये में क्रय की गई है । गुरूचरण सिंह दुकान चलाते थे और अपनी आय से यह सम्पत्ति क्रय की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 184, आरआरडी 2016 पेज 280 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि एक अन्य दावा जो कि प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किया गया था उसको इस दावे के साथ समेकित किया गया है। दिनांक 20.05.2003 की आदेशिका के अनुसार दावा संख्या 1029/01 अमरजीत सिंह बनाम देवेन्द्र कौर को दावा संख्या 431/01 के साथ समेकित किया गया है परन्तु उस दावे की न तो तनकीयात कायम की गई है और न ही उस पर कोई निर्णय अपीलाधीन निर्णय में पारित किया गया है । अतः प्रकरण दोनों दावों की समेकित तनकीयात कायम कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 04 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि गुरूमीत सिंह न्यायालय में नहीं आये हैं उनके बयान भी नहीं कराये गये हैं । सीपीसी के आदेश 32 के प्रावधानों के अनुसार वादिनी को गुरूमीत सिंह की संरक्षक नहीं माना जा सकता जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च स्तर प्राप्त करता है उसके सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है उसके लिए धारा 32 के अनुसार संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता । वसीयत के बाबत् बुआ के बयान नहीं कराये गये हैं, वसीयत प्रमाणित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2019 बहाल रखा जावे । यदि समेकित किये गये दावे के निर्णय के लिए प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तो मात्र उस दावे के निर्णय के निर्देश प्रदान किये जावें ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.05.2003 के अनुसार प्रकरण संख्या 1029/01 को प्रकरण संख्या 431/01 के साथ समेकित किया गया है परन्तु अपीलाधीन निर्णय में प्रकरण संख्या 1029/01 के बाबत् न तो कोई तनकीयात कायम की गई है और न ही उसको निर्णित किया गया है जबकि समेकन के उपरान्त दोनों दावों की समेकित तनकीयात कायम की जाकर दोनों का एक साथ निस्तारण किया जाना अनिवार्य होता है । प्रकरण संख्या 1029/01 की पत्रावली भी पत्रावली के साथ संलग्न है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित क़िया गया है वो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समेकित दावा संख्या 1029/01 के बाबत् भी तनकीयात कायम कर यदि पक्षकारों की साक्ष्य की आवश्यकता हो तो साक्ष्य ली जाकर नये सिरे से दोनों दावों की समेकित तनकीयात के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.05.2021 को उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/03/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा